प्रेस नोट दिनांक– 29.09.2020

इटावा पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में किया गया लूट की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त लूटे हुए रूपयों सहित गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को लूटे हुए रूपयों तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28.09.2020 को वादी दीपक शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा नि0 बेरीधनकर थाना अजीतमल जिला औरेया द्वारा थाना फ्रेन्डस कालोनी इटावा पर सूचना दी गयी कि अपाचे सवार 04 लडकों द्वारा असलाह के बल पर 12000रू0 छीन लेने की घटना कारित की गयी। उक्त सूचना के आधार पर वादी की तहरीर के आधार पर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर मु0अ0सं0 479/20 धारा 392, 120बी भादवि अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू की गयी थी।

उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री अकाश तोमर द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी से टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध मुनीम तन्नू उर्फ वैभव सक्सैना से पूछताछ करने तथा तथ्यों/मोबाइल की जांच करने पर पाया गया कि उक्त अभियुक्त वैभव सक्सैना द्वारा अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिलाया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ के आधार पर उपरोक्त घटना में संलिप्त अन्य 02 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा आईटीआई चौराहे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल तथा लूटे हुए रूपयों सहित गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की गयी तथा अन्य गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है।

पुलिस पूछताछ–

उक्त घटना के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान संदिग्ध अभियुक्त मुनीम तन्नू उर्फ वैभव सक्सैना का मोबाइल फोन चैक करने पर ज्ञात हुआ तो पाया गया कि अभियुक्त वैभव सक्सैना के द्वारा मोबाइल फोन के मैसेज से यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त वैभव सक्सैना द्वारा मैसेज करके कुछ लुटेरों को बुलाकर घटना कारित की गयी थी।

अग्रिम पूछताछ में अभियुक्त वैभव सक्सैना द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा वादी दीपक शर्मा को 15000रू0 दिये गये थे तथा उक्त रूपयों को लूटने की योजना बनाकर अपने अन्य 04 साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर उक्त लूट की घटना कारित करायी गयी थी। जिसमें अभियुक्तों द्वारा वादी से 12000रू0 की लूट की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. वैभव सक्सैना उर्फ तन्नू पुत्र दिनेश चन्द्र सक्सैना नि0 डाकखाने वाली गली अशोक नगर बाबरपुर थाना अजीतमल जिला औरेया
2. नितेश उर्फ गोलू पुत्र सुरजीत सिंह दौहरे नि0 हलुवा थाना अजीतमल जिला औरेया
3. शिवम उर्फ लल्ला पुत्र प्रहलाद सिंह कुशवाह नि0 जगतसिंह सभासद वाली गली अशोक नगर बाबरपुर थाना अजीतमल जिला औरेया ।

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त–

1. ऋषि कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 फंफूद रोड बाबरपुर थाना अजीत मल जिला औरेया
2. आयूष चौबे पुत्र पंकज चौबे नि0 हरौली थाना भरेह जिला इटावा

बरामदगी–

1. 2200रू0 नगद अभियुक्त नितीश उर्फ गोलू के कब्जे से
2. 2800रू0 नगद अभियुक्त वैभव सक्सैना के कब्जे से
3. मो0सा0अपाचे यूपी 75 यू 3626 घटना में प्रयुक्त

गठित टीमः– श्री प्रमोद कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्ड्स कालोनी मय टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।